

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल सम्बन्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.यस.सी./पानी समिति/प्रयोजक समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.यस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई एस ए द्वारा मार्गदर्शन सहयता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख—

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख—

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख—

2. ग्राम का नाम एवं जनगणना कोड—

ग्राम पंचायत का नाम— श्रीनिवासापुर ब्लॉक का नाम— श्रीमथा जिला का नाम— हरदो राज्य का नाम— उत्तरा
(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

3. ग्राम पंचायत सकल्प

ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल.पी.सी.डी. जल क आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गटले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह सकल्प लिया जाता है कि पूजा लागत का % प्रचलन और रख रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जायेगा और जल आपूर्ति के प्रबंधन में योगदान किया जायेगा

*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा

11. ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति ए अर्थात् वी डब्ल्यू यस सी /पानी समिति प्रयोजक समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजन कार्यान्वयन प्रबंधन प्रचालन और रख रखाव का नेतृत्व करेगी

(ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति)—उप समिति

समिति को क्या कहा जाता है—ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम—श्री/श्रीमती

लिंग—पुरुष/महिला

आयु—

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | लिंग | आयु |
|---------|--------------|-------|-----|
| 1. | मानसिंह | पुरुष | 56 |
| 2. | सुमनदी | " | 40 |
| 3. | देवेंद्र | " | 45 |
| 4. | शीता | महिला | 30 |
| 5. | शकुन्तला | " | 45 |
| 6. | माया देवी | " | 60 |
| 7. | संजीव | पुरुष | 36 |
| 8. | पवन | " | 23 |
| 9. | पूजा का | " | 24 |
| 10. | नेहा | महिला | 35 |
| 11. | रिष्णा | " | 28 |
| 12. | श्री. पाल | पुरुष | 65 |
| 13. | संजय | " | 62 |
| 14. | किरण देवी | महिला | 45 |
| 15. | रघुराज | पुरुष | 65 |

III. सामान्य विवरण

| 6. 2011 की जनगणना के अनुसार | वर्तमान पंचायत/आगतवाड़ी रिकार्ड के अनुसार | | | |
|-----------------------------|---|-----|---|-----|
| | ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम | योग | ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम | योग |
| जनसंख्या | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| र.क्रीक वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | भूमि संसाधन विभाग | वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एम./कृषि पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण/वृद्धि आदि। |
| जल मंडलों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल मंडलों का जीर्णोद्धार |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | वाटरशेड से संबंधित कार्य |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | जल की अधिक उपलब्धता वाली सिंचित फसलों के लिए सूख-सिंचाई का प्रावधान, एक्सप्लॉरेशन से जल की निकासी को कम करने के लिए |
| क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कौशल विकास और उपनिर्मा मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि |
| समग्र शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम | नौति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधिओं के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| जिला योजित विकास निधि (डी.एम.एफ.) | राज्य | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| एम.पी.एल.ए.डी. | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) | अंतःग्राम अवसरचना |
| एम.एस.ए.एल.ए.डी. | राज्य | अंतःग्राम अवसरचना |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य | अंतःग्राम अवसरचना |
| दानदाता/प्रायोजक | | |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर _____

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/ग्रोवर्स समूह, आदि का अध्यक्ष :

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर :

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर :

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. रामवती 10/0 राइश कुमार ग्रो. 740879530
2. रानी 2/0 राजेश कुमार ग्रो. 9985967258
- 3.
- 4.
- 5.

पंच ओपरेटर का नाम और फोन नंबर :

प्रमाणित

प्रधान

ग्राम पंचायत नानियालगाज

पि० ख० टडिगावाँ / 25